न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 20 / 2025

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
सोहनराम पुत्र हरजीराम, जाति विश्नोई, निवासी भींयासर, तहसील व जिला फलौदी		नायब तहसीलदार, फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश दिनांक 24.03.2025 जो नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा प्रकरण संख्या 34 / 2025 में पारित किया गय

उपस्थित वकील :—

अपीलाण्ट की ओर से— अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी उपस्थित।

रेस्पोडेण्टस की ओर सेः— तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांकः— 24/2/2026

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 91 में दर्ज नायब तहसीलदार फलौदी के प्रकरण संख्या 24 / 2025 निर्णय दिनांक 24.03.2025 के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि ग्राम भींयासर, पटवार हल्का भींयासर, तहसील फलौदी में खसरा नम्बर 1051 रकबा 38.8659 हैक्टयर गैर मुमकीन आबादी की भूमि आई हुई है। जिसमें अपीलांट का करीबन 30 सालों से कब्जा होकर कच्चा—पक्का निर्माण किया जाकर पांच पड़वे बनाए हुए है, जिसमें परिवार सहित अपीलांट निवास करता है। अपीलांट के नाम से विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है। लेकिन अपीलांट के नाम से अभी तक आबादी भूमि में कोई पट्टा जारी नहीं होने की वजह से अपीलांट के कब्जा वाली जगह पर भींयासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. द्वारा जरिये व्यवस्थापक अपने पक्ष में पट्टा जारी करवा लिया था तथा अपीलांट को आबादी भूमि में कब्जासुदा जायगा से हटाने के लिए ग्राम सेवाह समिति भींयासर द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश किया, तब अपीलांट को जानकारी हुई कि अपीलांट के काबिज वाली जगह पर ग्राम सेवाह सहकारी सेवा समिति भींयासर द्वारा अपने पक्ष में पट्टा जारी करवा लिया है। तब अपीलांट द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के पक्ष में में जारी पट्टे को निरस्ती हेतु अपर जिला कलक्टर फलौदी के न्यायालय में सन् 2017 में पट्टा निगरानी पेश की ,जो दिनांक 17.02.2021 को निर्णित होकर ग्राम सेवा सहकारी समिति भींयासर के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कर दिया, लेकिन अभी हाल ही में गांव में कुछ राजनैतिक प्रतिद्वदियों के कहने से हल्का पटवारी भंयासर द्वारा बिना कोई पैमाइश किए अपनी मनमर्जी से अपीलांट के कब्जा वाली जगह को आबादी भूमि के चिपरे खसरे खसरा नंबर 1050 किस्म गैर मुमकीन बैरा की होनो बताते हुए एक तरफा रिपोर्ट तैयार कर अपीलांट के विरूद्व 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी होना बताते हुए अपीलांट को बिना कोई तामील करवाए नोटिस पर पत्नी को नोटिस सुपुर्द करने व पत्नी हस्ताक्षकर करने से इन्कार करने का पृष्ठाकन कर उसको तामिल होना मानते हुए

जिला कलक्टर
फलौदी

अपीलांट के विरूद्व दिनांक 24.03.2025 को एक तरफा निर्णय करते हुए वैदखल करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील मय धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। नायब तहसीलदार फलौदी से मूल रेकर्ड तलब किया गया । जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भींयासर, पटवार हल्का भींयासर तहसील व जिला फलौदी के खसरा नंबर 1051 रकबा 38.8659 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन आबादी की भूमि आई हुई है। इसके पास ही खसरा नंबर 1050 रकबा 8.7817 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन बैरा की भूमि आई हुई है, जो दोनो चिपताचिपत है। अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 1051 किस्म गैर मुमकीन आबादी में आया हुआ है।जो करीबन तीस सालों से शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा है। तथा अपीलांट अपने परिवार सहित इसी खसरे में बने कच्चे पड़वे में रह रहा है। उक्त गैर मुमकीन आबादी वाले खसरे की कई बार पैमाइश हुई उस पैमाइश के तुताबिक अपीलांट का कब्जा इसी आबादी के खसरे में आता है। लेकिन अभी हल्का पटवारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपीलांट के कब्जा वाली भूमि को आबादी के चिपते खसरा नंबर 1050 किस्म गैर मुमकीन बैरा बताते हुए अपीलांट के विरूद्व 91 दर्ज करवा दिया। जिस पर नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना नोटिस तामील करवाए एक तरफा कार्यवाही कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व न तो कोई मौका रिपोर्ट मंगवाई, ना ही कोई पैमाइश फर्द मगवाई गई। इसलिए आलौच्य आदेश को खारिज किया जावे।

5. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.03.2025 को निर्णय पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 11.11.2025 की आदेश प्रति प्राप्त होने से पूर्व नहीं होने से अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जानकारी प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद सुमार की जावे।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव न्यायालय नायब तहसीलदार से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना न्यायालय न्यायोचित

जिला कलक्टर

समझता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आलौच्य आदेश की जानकारी दिनांक 11.112025 को आदेश की प्रति प्राप्त होने पर हुई है। इसे पहलें अपीलांट को किसी भी स्त्रोतो से जानकारी नहीं होने का कथन किया गया है। अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं मनन पश्चात अपीलांट का धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में पटवारी हल्का भोजासर एवं भू.अ. निरीक्षक भोजासर द्वारा मौके की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्व होता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस दिनांक 14.02.2025 को जारी किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त नोटिस अपीलांट की पत्नी को सुपुर्द की गई। उक्त नोटिस पर अपीलांट की पत्नी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने उल्लेख हल्का पटवारी द्वारा किया गया है। पत्रावली में पटवारी हल्का भोजासर व भू. अभिलेख अधिकारी भोजासर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम भींयासर में खसरा संख्या 1050 गैर मुमकीन बेरा बाड़ व पांच कच्चे पक्के पड़वे बनाकर कब्जा करना बताया है। अपीलांट द्वारा बहस में बताया है कि खसरा संख्या 1051 व खसरा संख्या 1050 की भूमि चिपताचिपत है और अपीलांट खसरा संख्या 1051 की भूमि में रहवासीय कच्चा पक्का निर्माण कर रखा है। परन्तु अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य/पैमाइश रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट की कब्जाशुदा भूमि खसरा संख्या 1050 किस्म गैर मुमकीन बैरा की न होकर खसरा संख्या 1051 गैर मुमकीन आबादी में स्थित है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

9. अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड शीघ्र लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/2/2026 सरेइजलास सुनाया गया।

श्वेता चौहान
(आई.ए.एस.)
जिला कलेक्टर, फलौदी